भारत सरकार

बजट 2023-2024 की घोषणाओं का कार्यान्वयन

[बजट भाषण — 1 फरवरी, 2023]

1 फरवरी, 2024

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति, 2023-24

विषय-सूची

क्र. सं.	पैरा सं.	विषय (2023-24 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
1	13(1)	महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण	1
2	13(2)	पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)	2
3	13(3)	पर्यटन को बढ़ावा	3
4	16	कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर	3
5	17	कृषि वर्धक निधि	4
6	18	कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाना	4
7	19	आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम	5
8	22	मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र: 'श्री अन्न'	5
9	23	कृषि ऋण	9
10	24	पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप-योजना	10
11	25	सहकारी समितियों का देशव्यापी मानचित्रण	11
12	26	भंडारण क्षमता का विकेंद्रीकरण और बहुद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना	12
13	27	नये नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना	13
14	28	सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन	13
15	29	चिकित्सा अनुसंधान	15
16	30	फार्मा नवाचार	15
17	31	चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम	15
18	32	अध्यापकों का प्रशिक्षण	16
19	33	बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	16
20	34	पढ़ने की संस्कृति का निर्माण करना	17
21	36	आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम	17
22	37	प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन	18

क्र. सं.	पैरा सं.	विषय (2023-24 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
23	38	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती	19
24	39	अपर भद्रा परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता	19
25	40	पीएम आवास योजना	20
26	41	भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)	20
27	42	निर्धन कैदियों को सहायता	21
28	47	राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता	21
29	48	अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि करना	22
30	49	अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची	22
31	50	रेलवे के लिए ₹2.40 लाख करोड़ का पूंजीगत परिव्यय	23
32	51	संभारतंत्र (लॉजिस्टिक्स) - अंतिम और प्रथम गंतव्य संपर्कता के लिए महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं	23
33	52	क्षेत्रीय हवाई संपर्कता (कनेक्टिविटी) में सुधार	24
34	53	भविष्य के संधारणीय शहर	24
35	54	म्युनिसिपल बांड के लिए शहरों को तैयार करना	25
36	55	शहरी अवसंरचना विकास निधि	25
37	56	शहरी स्वच्छता	26
38	58	मिशन कर्मयोगी	27
39	59	कारोबारी सुगमता को बढ़ाना	27
40	60	कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के लिए उत्कृष्टता केंद्र	28
41	61	राष्ट्रीय डाटा शासन नीति	28
42	62	अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया का सरलीकरण	29
43	63	पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान	29
44	64	सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता	30
45	65	एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया	30

क्र. सं.	पैरा सं.	विषय (2023-24 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
46	66	विवाद से विश्वास I - सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए राहत	31
47	67	विवाद से विश्वास II - संविदागत विवादों का निपटान	31
48	68	राज्य सहायता मिशन	32
49	69	परिणाम आधारित वित्तपोषण	32
50	70	ई-न्यायालय	33
51	71	फिनटेक नवाचार सेवाएं	33
52	72	निकाय डिजिलॉकर	34
53	73	5जी सेवाएँ	34
54	74	प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे (एलजीडी)	35
55	75	एलजीडी सीड पर सीमा शुल्क दर की समीक्षा	35
56	77	राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन	36
57	78	ऊर्जा परिवर्तन	36
58	79	ऊर्जा भंडारण परियोजनाएँ	37
59	80	नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण	37
60	81	हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम	37
61	82	पीएम-प्रणाम	39
62	83	गोबरधन स्कीम	39
63	84	भारतीय प्राकृतिक खेती बायो-इनपुट संसाधन केंद्र	40
64	85	मिश्टी - तटीय पर्यावास और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल	41
65	86	अमृत धरोहर	41
66	87	तटीय नौवहन	42
67	88	वाहनों का प्रतिस्थापन	42
68	90	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0	43
69	91	यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म	44

क्र. सं.	पैरा सं.	विषय (2023-24 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
70	92	राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना	44
71	93	पर्यटन - 50 गंतव्य	45
72	94	घरेलू पर्यटन को बढ़ावा	45
73	95	यूनिटी मॉल की स्थापना	46
74	97	एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी	47
75	98	राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना	48
76	99	वित्तीय क्षेत्र विनियम	48
77	100	वित्तीय क्षेत्र विनियमों की व्यापक समीक्षा	50
78	101	जीआईएफटी आईएफएससी में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाना	52
79	102	डाटा दूतावास	54
80	103	बैंकिंग क्षेत्र में शासन-व्यवस्था और निवेशक संरक्षण में सुधार लाना	54
81	104	प्रतिभूति बाज़ार में क्षमता निर्माण	54
82	105	केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना	55
83	106	अदावी शेयरों और अदावी लाभांशों का पुनः दावा	55
84	107	डिजिटल भुगतान	55
85	108	आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र	56
86	109	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए जमा सीमा बढ़ाना	56
87	110	मासिक आय खाता योजना की सीमा बढ़ाना	56
88	111	राज्यों को पचास वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण	57
89	112	राज्यों का राजकोषीय घाटा	58

बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति, 2023-24

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	13(1)	**महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरणः** दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं-सहायता समूहों से जोड़ कर असाधारण कामयाबी हासिल की है। हम इन समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों या समूहों, जिनमें से प्रत्येक में कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा, के गठन के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम बनाएंगे। कच्चे माल की आपूर्ति के साथ और उनके उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के माध्यम से उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजारों में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाएं जैसा कि कई स्टार्ट-अप्स के तरक्की करके 'यूनिकार्न' में बदलने के मामले में हुआ है।	**ग्रामीण विकास विभाग** **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही तक, 12.50 लाख महिलाओं को उत्पादक समूहों से निम्नानुसार जोड़ा गया है: (i) 2.81 लाख नए महिला सदस्यों को नए उत्पादक उद्यमों (पीई)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/समूहों में शामिल किया गया है (ii) मौजूदा पीई/एफपीओ/समूहों में 2.68 लाख अतिरिक्त महिलाओं को जोड़ा गया है और (iii) 683 लाख महिलाओं को उत्पादक समूहों में जोड़ा गया है इसके अलावा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कार्यान्वयन के लिए दो मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। झारखंड और कर्नाटक में कारीगर क्लस्टर परियोजनाओं के लिए भी मंजूरी दी गई है। झारखंड में एक क्षेत्रीय क्लस्टर परियोजना भी अनुमोदित की गई है। इसके अतिरिक्त, 229 महिला-स्वामित्व वाले किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया गया है (चालू वित्त वर्ष के दौरान एफपीओ योजना के तहत)। इनसे करीब 2.40 लाख सदस्यों को फायदा होगा।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
2.	13(2)	**पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास):** सदियों से अपने हस्त औजारों के सहारे काम करने वाले पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतया विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करते हैं। पहली बार, उनके लिए सहायता पैकेज की संकल्पना बनाई गई है। यह नई स्कीम उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संघटकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा बल्कि उसमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों की जानकारी, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों,	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 16.08.2023 को पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) की अवधि के लिए ₹13,000 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ "पीएम विश्वकर्मा" योजना को मंजूरी दी है। योजना के दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय सेवाएं विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आदि सहित हितधारकों के साथ साझा किया गया है और ये पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर उपलब्ध हैं। 17.09.2023 से पीएम विश्वकर्मा वेब पोर्टल पर कारीगरों और शिल्पकारों का नामांकन शुरू हो गया है। 01.12.2023 तक, कुल मिलाकर 21.37 लाख कारीगरों और शिल्पकारों का नामांकन किया गया था। ग्राम प्रधानों (जीपी) को प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और सीएससी (सामान्य सेवा केंद्र) के साथ व्यापक परामर्श किया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक फायदा पहुंचेगा।	
3.	13(3)	**पर्यटनः** हमारे देश में घरेलू के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों की भरमार है। पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियों एवं उद्यमिता के शानदार मौके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य, राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय और पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के साथ, मिशन मोड में किया जाएगा।	**पर्यटन मंत्रालय** पर्यटन मंत्रालय ने अभिसरण (कंवर्जेंस) पहल की हैं। संपर्कता एवं अवसंरचना, कौशल विकास एवं उद्यमिता, पर्यटन उत्पाद एवं अनुभवों से संबंधित क्षेत्रों में संबद्ध मंत्रालयों के साथ नियमित रूप से परामर्श किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में दीर्घस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को भी स्वदेश दर्शन 2.0 के तौर पर नया रूप दिया है।
4.	16	**कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर** कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-प्रचालन-योग्य लोक हित के रूप में निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं निरोगमुक्तता के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता,	**कृषि और किसान कल्याण विभाग** तीन मुख्य रजिस्ट्रियों अर्थात किसान रजिस्ट्री, गांव मानचित्र रजिस्ट्री और फसल बोई गई रजिस्ट्री के जियो रेफरेंसिंग को अंतिम रूप दिया गया है। i. किसानों की रजिस्ट्री के लिए, एप्लिकेशन विकसित किया गया है और प्रायोगिक आधार पर कार्य शुरू किया गया है। ii. देश के 75% गांवों के लिए जियो रेफरेंसिंग पूरा हो गया है। iii. खरीफ-2023 से 12 राज्यों में जियो रेफरेंसिंग आधार पर डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया गया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		मार्केट इंटेलीजेंस, और एग्री-टेक इंडस्ट्री एवं स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे।	इसके अलावा, फसल रजिस्ट्री, कृषि डेटा आदान-प्रदान, सहमति प्रबंधक, सैंड बॉक्स और एक एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (यूएफएसआई) जैसी सहायता रजिस्ट्रियां भी विकसित की गई हैं।
5.	17	**कृषि वर्धक निधि** युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्ट-अप्स खोल सकें, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियां भी लेकर आएगी।	**कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू)** संस्थागत तंत्र और प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। समस्या विवरणों की पहचान और स्टार्ट-अप का चयन 15 फरवरी 2024 तक शुरू होने की उम्मीद है। 28 फरवरी 2024 तक स्टार्ट-अप का क्षमता निर्माण और वित्त पोषण का पहला चरण जारी करना।
6.	18	**कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाना** अतिरिक्त-लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। इससे किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट	**कृषि और किसान कल्याण विभाग** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत कपास पर एक विशेष परियोजना 'कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियों को लक्षित करना- कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन' को 2023-24 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। यह परियोजना कपास की उत्पादकता बढ़ाने और अतिरिक्त लंबे रेशे (ईएलएस) कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर),

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		आपूर्ति एक्सटेंशन सेवाओं, और मार्केट लिंकेजों की व्यवस्था हो पाएगी।	राज्यों, बीज संघों और उद्योग के बीच सहयोग से मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण के माध्यम से अभिज्ञात समूहों में पीपीपी मोड पर आईसीएआर-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
7.	19	**आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम** हम ₹2,200 करोड़ के परिव्यय से हाइ वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग-मुक्त, गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।	**कृषि और किसान कल्याण विभाग** मंत्रालय ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के सुचारू और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक संचालन समिति, तकनीकी समिति और कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। फसलों और लोकेशन पर निर्णय लेने के लिए हितधारकों/विशेषज्ञों के साथ भांति-भांति के परामर्श किए गए हैं और तदनुसार फसल विशिष्ट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों में स्थापित किए जाने के लिए सात स्वच्छ पौध केन्द्रों की पहचान की गई है। स्वच्छ पौध प्रणाली के क्षेत्र के ज्ञान के साथ बागवानी के क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण पर भी बातचीत की गई है।
8.	22	**मिलेट के लिए वैश्विक केन्द्र 'श्री अन्न'** अब भारत को 'श्री अन्न' के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता	**कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग** 1. फसल सुधार के लिए श्री अन्न जैव विविधता के संरक्षण, विशेषता-विशिष्ट लक्षण वर्णन और उपयोग के लिए श्री अन्न जीन बैंक को सशक्त करने के लिए दीर्घकालिक जर्मप्लाज्म भंडारण सुविधा की स्थापना (2022-23 से 2025-26):

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।	(i) लक्षण-वर्णन के लिए 250 रबी ज्वार की बुवाई पूरी कर ली गई थी। (ii) गुणन के लिए 1500 रबी ज्वार का रोपण किया गया। (iii) श्री अन्न 1428 कोदो मिलेट इंट्रीज की कटाई पूरी की गई। 2. उपज और उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्री अन्न के गुण, बीज और फसल सुधार के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (2022-23 से 2025-26): (i) रबी 2023 में नियंत्रित परागण के तहत अनुरक्षण जनन के लिए ज्वार की एक सौ बीस (120) संदर्भ किस्में लगाई गई हैं। (ii) जनन कार्यक्रम के लिए 280 लाइनों के सेट से अधिक संख्या में टिलर्स और उत्कृष्ट फिंगर लक्षणों के लिए थ्री फिंगर श्री अन्न लाइनों का चयन किया गया था। (iii) फॉक्सटेल श्री अन्न के चार विभिन्न प्रतिकृति उपज मूल्यांकन परीक्षणों की कटाई की गई है और आंकडे रिकार्ड किए गए हैं। (iv) बाड़ा श्री अन्न खरीफ प्रयोगों के विभिन्न प्रति-जननों की कटाई और डाटा मापन पूरा कर लिया गया है। (v) कोदो श्री अन्न की जारी किस्मों के गुणनकृत बीजों को मेटाबोलोमिक्स विश्लेषण और शरीरक्रिया विज्ञानी अध्ययनों के लिए वितरित किया गया था। (vi) क्यूपीसीआर प्राइमरों को फिंगर श्री अन्न से उत्पादन के लिए डिजाइन और संश्लेषित किया गया था। (vii) ज्वार और बाजरा में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वृद्धि और उपज पैरामीटर दर्ज किए गए।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(viii) फॉल आर्मी टॉलरेंस के लिए उनसठ ज्वार लाइनों की जांच की गई। (ix) एंडोफाइट्स के पृथक्करण के लिए भारत के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के 5 विभिन्न स्थानों से पर्ल श्री अन्न के नमूने एकत्र किए गए। आगे के लक्षण वर्णन के लिए पर्ल श्री अन्न से कुल 38 बैक्टीरियल एंडोफाइट्स को पृथक्कृत किया गया था। (x) कोदो श्री अन्न में बोरोन और जिंक के पत्तों पर छिड़काव के लिए रिकार्ड की गई बीज उपज और गुणवत्ता वृद्धि प्रेक्षण। (xi) श्रीअन्न क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता आंकड़ों को अद्यतन करना। (xii) राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए पर्ल श्री अन्न की कुल कारक उत्पादकता का विश्लेषण किया गया। 3. श्री अन्न पोषक तत्व-अनाज विश्लेषणात्मक, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन के लिए राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला: (i) फिंगर श्री अन्न के 88 जीनोटाइप में कैल्सियम से फास्फोरस अनुपात को अभिलक्षित किया गया। (ii) 25 ज्वार भूमि प्रजातियों के कुल फीनोलिक अंश का फेनोटाइपिंग चल रहा है। 4. उद्यमिता, इनक्यूबेशन और स्टार्टअप पोषण के लिए श्री अन्न मूल्य श्रृंखला और व्यवसाय सुविधा के लिए उत्कृष्टता केंद्र (2022-23 से 2025-26): (i) पर्ल श्री अन्न में आकृति विज्ञान, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास, पोषण, शेल्फ लाइफ और स्वास्थ्य लाभों को समझने के लिए साहित्य की समीक्षा की गई।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(ii) फील्डस्तरीय पहल में सहायता करने के लिए विकास क्षेत्र एजेंसियों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। (iii) हैदराबाद में 27-28 नवंबर, 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्री अनाज सम्मेलन 5.0 (आईएनसीसी 5.0) का आयोजन किया गया। 5. इंटरनेशनल मिलेट म्यूजियम एण्ड हॉल्स ऑफ रेसिडेंस के साथ अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, कौशल विकास और क्षमता सक्षमता केंद्र की स्थापना (2022-23 से 2025-26): (i) सीपीडब्ल्यूडी हैदराबाद ने वैश्विक सीओई के लिए संशोधित भवन डिजाइन और योजना प्रस्तुत की। (ii) फील्ड रिसर्च फेनोटाइपिंग परिसर की विशिष्टता पूरी कर ली गई है। (iii) प्रथम वर्ष के अंतर्गत 24 प्रमुख उपस्करों की अधिप्राप्ति की निविदा पूरी हो गई है। (iv) श्री अन्न पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ओडिशा श्री अन्न मिशन (ओएमएम), ओडिशा सरकार 9-10 नवंबर, 2023 तक भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया था। आईसीएआर-आईआईएमआर ओएमएम का ज्ञान भागीदार है। 6. श्री अन्न पायलटों के लिए फीड, चारा, जैव ईंधन, माल्टिंग, ब्रूइंग और बाजरा के औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सुविधा (2022-23 से 2025-26): (i) मीठे ज्वार के हाइब्रिड परीक्षण कटाई का कार्य पूरा हुआ। (ii) कुल और न्यूनकारी शर्करा के आकलन के लिए संकर परीक्षण से लाइनों के मीठे ज्वार के रस का जैव रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। (iii) व्यापक संकरण क्रॉस से व्युत्पन्न मीठे ज्वार जीनोटाइप का मूल्यांकन 24 टीआरएपी मार्करों के एक सेट का उपयोग करके पूरा किया गया था।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			7. क्षेत्रीय श्री अन्न प्रौद्योगिकी नवाचार और आउटरीच हब (2022-23 से 2025-26): (i) अध्यक्ष, बाड़मेर केंद्र, राजस्थान की भर्ती के लिए साक्षात्कार पूरा हो गया है। (ii) रबी ज्वार, शोलापुर केन्द्र के लिए ग्लास हाउस की विशिष्टियां पूरी कर ली गई हैं। (iii) नवीनतम उन्नत ज्वार उत्पादन प्रौद्योगिकियों के साथ चार प्रमुख राज्यों में रबी ज्वार पर कुल 200 अग्रपंक्ति प्रदर्शनों (एफएलडी) का आयोजन किया गया। (iv) दो एफपीओ (जेवारगी और निदगुंधी) को बढ़ावा दिया गया। (v) 40 प्रतिभागियों के लिए 20-24 नवंबर, 2023 तक "श्री अन्न मूल्य श्रृंखला विकास" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
9.	23	**कृषि ऋण** कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ₹20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा।	**वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस)** डीएफएस द्वारा उद्देश्य-वार और क्षेत्र-वार कृषि ऋण लक्ष्य पर अनुमोदन 5 जून 2023 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भेजा गया था। 31 अक्टूबर 2023 तक, ₹14.36 लाख करोड़ (अनंतिम) का कृषि ऋण वितरित किया गया है जो लक्ष्य का 72% है। **पशुपालन और डेयरी विभाग** वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 05.06.2023 के पत्र के तहत बैंकों द्वारा कृषि के लिए जमीनी स्तर पर ऋण लक्ष्य वर्ष 2023-24 के दौरान ₹20,00,000 करोड़ निर्धारित किया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ₹2,93,000 करोड़ का लक्ष्य ₹20,00,000 करोड़ के समग्र सावधि ऋण लक्ष्य के भीतर निर्धारित किया

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>बजट घोषणा</th><th>कार्यान्वयन की स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>गया है। ₹2,93,000 करोड़ के गतिविधि-वार ब्यौरे का विवरण निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कार्यविधि</th><th>कार्यशील पूंजी लक्ष्य</th><th>सावधि ऋण लक्ष्य</th><th>कुल लक्ष्य</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">(₹ करोड़ में)</td></tr>
<tr><td>i</td><td>डेयरी</td><td>39,000</td><td>66,000</td><td>1,05,000</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>मुर्गी पालन</td><td>20,000</td><td>8,000</td><td>28,000</td></tr>
<tr><td>iii</td><td>भेड़, बकरी, सुअर, पशुपालन - अन्य</td><td>63,000</td><td>72,000</td><td>1,35,000</td></tr>
<tr><td>iv</td><td>मत्स्यपालन</td><td>18,000</td><td>7,000</td><td>25,000</td></tr>
<tr><td>v</td><td>कुल</td><td>1,40,000</td><td>1,53,000</td><td>2,93,000</td></tr>
</table>
वर्ष 2023-24 के लिए शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी पशुपालन और डेयरी किसान (एएचडीएफ) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अभियान के तहत, अब तक पशुपालन और डेयरी किसानों को 18,14,535 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।
मात्स्यिकी विभाग
मछुआरों और मछली पालकों से कुल 3,24,404 केसीसी आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,70,647 केसीसी जारी किए गए हैं और लगभग 7,399 आवेदन विभिन्न चरणों में बैंकों के पास हैं।</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>24</td><td>मत्स्य पालन क्षेत्र
हम ₹6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू करेंगे ताकि मछुआरे, मछली विक्रेता, सूक्ष्म</td><td>मात्स्यिकी विभाग
योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		तथा लघु उद्यम अपने कार्य में और अधिक सक्षम बन सकें, मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जा सके, और बाजार का विस्तार किया जा सके।	
11.	25	**सहकारिता** किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। *'सहकार से समृद्धि'* के विजन को हासिल करने के अधिदेश के साथ एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही ₹2,516 करोड़ के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है। सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके पीएसीएस के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किए गए थे ताकि वे बहुद्देशीय पीएसीएस बनने में सक्षम हो सकें। सहकारी सोसाइटियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।	**सहकारिता मंत्रालय** (i) 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। अब तक, 62,318 पीएसीएस के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। हार्डवेयर प्रापण के लिए 24 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से की राशि ₹475.55 करोड़ जारी की गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सॉफ्टवेयर के विकास, परियोजना निगरानी इकाइयों और प्रशिक्षण के लिए ₹100 करोड़ भी जारी किए गए हैं। सॉफ्टवेयर तैयार है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर प्रापण और सिस्टम इंटीग्रेटर की प्रक्रिया चल रही है। (ii) राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के लिए आंकड़ा संग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार (आरसीएस) के जिला नोडल अधिकारी द्वारा वैधीकरण और प्रमाणन प्रक्रिया की जा रही है और इसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
12.	26	इस पृष्ठभूमि के साथ, हम व्यापक विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में कवर नहीं किए गए पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुद्देश्यीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक मत्स्यन सोसाइटियों और डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करने हेतु सुविधा प्रदान करेगी।	**सहकारिता मंत्रालय** 1. सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंत्रिमंडल द्वारा 31.05.2023 को मंजूरी दी गई, जिसे देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चयनित जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। 2. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सहयोग से देश में सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए नई बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को मंजूरी दे दी है। **पशुपालन और डेयरी विभाग** कवर न की गई ग्राम पंचायतों में प्राथमिक डेयरी सहकारिताओं की स्थापना के लिए एनडीडीबी ने देश के 100 जिलों को कवर करते हुए एक कार्य योजना तैयार की है। पीएसीएस की स्थापना के लिए नाबार्ड के साथ योजना साझा की गई है। इसके अलावा, एनडीडीबी उन ग्राम पंचायतों (जीपी) की पहचान करने की प्रक्रिया में है, जहां नवगठित बहुद्देशीय पीएसीएस (एम-पीएसीएस) में व्यवहार्य डेयरी स्थापित की जा सकती है। ऐसे ग्राम पंचायतों की पहचान संबंधित राज्य/जिले के जिला सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के परामर्श से की जा रही है। **मात्स्यिकी विभाग** प्रत्येक तटीय पंचायत/ग्राम के साथ-साथ बड़े जल निकायों वाली पंचायत/गांवों में 12,000 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			सुदृढ़ करने के लिए एक कार्य योजना को सहकारिता मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। गठित की जाने वाली प्राथमिक मछुआरा सहकारी समितियों (पीएफसीएस) की संख्या: चरण I में 6,000 पीएफसीएस है और चरण II में 6,000 पीएफसी है। 2023-24 के दौरान 13 समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अनावृत्त तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों में नई 1,000 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और 7 राज्यों में 300 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धवन /सुदृढ़ीकरण के लिए गतिविधियों की विस्तृत मासिक योजना तैयार की गई है।
13.	27	**नर्सिंग कॉलेज** वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थानों में एक सौ सत्तावन नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2023 में ₹1016 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के साथ ₹1570 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। 86 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदित की गई है और 73 कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रत्येक को ₹2 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है।
14.	28	**सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन** वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0-40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल	**जनजातीय कार्य मंत्रालय** 1. सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 जुलाई, 2023 को शहडोल, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है। 2. सिकल सेल एनीमिया मिशन के संबंध में सूचना, शिक्षा और संचार के लिए कार्यनीतिक योजना तैयार की गई है। सभी स्थानिक राज्यों के साथ परामर्श किया गया है। 3. जागरूकता और परामर्श संबंधी मॉड्यूल एक विशेषज्ञ

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगपरक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा।	तकनीकी समिति द्वारा तैयार किए गए हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा उनकी पुनरीक्षा की गई है। 4. चिकित्सा सेवा प्रदाताओं के लिए जागरूकता और परामर्श मॉड्यूल और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 01.07.2023 को शहडोल, एमपी में मिशन के शुभारंभ पर जारी किया गया था। 5. माननीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा 28 अगस्त, 2023 को राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों हेतु जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। 6. जागरूकता और परामर्श मॉड्यूल का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में अनुवाद जारी है। **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू)** 2047 तक सिकल सेल एनीमिया मुक्त राष्ट्र की परिकल्पना की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सिकल सेल एनीमिया रोग की जांच का लक्ष्य 2.5 करोड़ व्यक्ति है। सिकल सेल एनीमिया रोग की जांच के लिए 2025-26 तक 7 करोड़ व्यक्तियों का लक्ष्य है। i. चिकित्सा अधिकारियों (एमओ), सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ), प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के लिए कार्यक्रम दिशानिर्देश और प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी कर दिया गया है। ii. मानक उपचार दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। iii. राज्यों को स्क्रीनिंग लक्ष्यों के साथ कार्यक्रम के बारे में उन्मुख किया गया है। iv. राज्यों द्वारा निगरानी और समीक्षा के लिए सिकल सेल पोर्टल और डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। v. नवंबर, 2023 तक कुल 64,29,957 जांच (स्क्रीनिंग) की गई हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
15.	29	**चिकित्सा अनुसंधान** सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज संकाय तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास दलों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।	**स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग** 1. अनुसंधान अवसंरचना साझाकरण नीति तैयार करने और अनुदान योजना के लिए दो विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है और जिसके माध्यम से शोधकर्ताओं को सुविधा प्रदान की जाएगी और अनुसंधान प्रस्तावों को सहायता दी जाएगी। 2. मसौदा अनुसंधान अवसंरचना साझेदारी नीति को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाधीन है। 3. डिजिटल पोर्टल तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है और सुरक्षा ऑडिट जारी है। पोर्टल का अंतिम डेमो लंबित है।
16.	30	**फार्मा नवाचार** फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हम विशिष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे।	**भेषज विभाग** 25.07.2023 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों की अवधि यानी 2023-24 से 2027-28 के लिए ₹5000 करोड़ के परिव्यय के साथ फार्मा-मेड टेक (पीआरआईपी) में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को 17.08.2023 को अधिसूचित किया गया है।
17.	31	**चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम** मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्यत्कालिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च कोटि के	**भेषज विभाग** **उच्च शिक्षा विभाग** चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास योजना को जुलाई 2023 में मंजूरी दी गई है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		विनिर्माण तथा अनुसंधान के लिए कुशल मैनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।	
18.	32	**अध्यापकों का प्रशिक्षण** नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनःपरिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा।	**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** चरणबद्ध तरीके से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) के उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
19.	33	**बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय** बच्चों और किशोरों के लिए अलग-अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल	**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऐप का मसौदा संस्करण विकसित किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी), नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) की कुल 155 किताबें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) ऐप पर अपलोड की गई हैं। एनडीएल तक पहुंच पंचायत स्तर पर भौतिक पुस्तकालयों में प्रदान की जाएगी। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दो कार्य समूह बनाए गए हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	
20.	34	इसके अतिरिक्त, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुन:पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र मे कार्य करने वाले एनजीओ के साथ सहयोग भी इस पहल का हिस्सा होगा। वित्तीय समझ विकसित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	
21.	36	**आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम** आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस	**नीति आयोग** कार्यक्रम के लिए सभी 500 ब्लॉकों के लिए मुख्य निष्पादन संकेतकों पर बेसलाइन स्थिति स्थापित की गई है और योजना

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए **500** ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है।	और उपयोग के लिए राज्यों, जिलों और ब्लॉकों के साथ साझा की गई है। अप्रैल से जून तिमाही के लिए पहली रैंकिंग दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में जारी की गई है। जुलाई से सितंबर के लिए रैंकिंग जल्द ही जारी की जाएगी। इसके बाद हर तिमाही में रैंकिंग जारी की जाएगी। पांच हजार ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को नेतृत्व विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) कार्यक्रम कार्यान्वयन और ब्लॉक विकास रणनीति विकसित करने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है। एबीपी के प्रमुख क्षेत्रों पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के लिए प्रशिक्षण जनवरी 2024 में नियोजित किया गया। आकांक्षी ब्लॉक फेलो के पहले दौर के लिए प्रशिक्षण नवंबर, 2023 को पूरा हुआ, जिसमें सेवा वितरण में संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ के साथ काम करने और अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की रणनीति पर काम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
22.	37	**प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन** विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीवीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ	**जनजातीय कार्य मंत्रालय** राज्यों के सहयोग से, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की आबादी और गांवों/बस्तियों के डाटाबेस तैयार किए गए हैं। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) द्वारा पीवीटीजी आबादी, इन गांवों/बस्तियों में अवसंरचनात्मक कमियों के साथ गांव के आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता, और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए ₹**15,000** करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	मिशन के फ्रेमवर्क के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया था और उनसे विभिन्न कार्यकलापों के लिए अपनी आवश्यकताओं को साझा करने का अनुरोध किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर, 2023 को "प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान" (पीएम-जनमन) मिशन का शुभारंभ किया।
23.	38	**एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय** अगले तीन वर्षों में केन्द्र **3.5** लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा।	**जनजातीय कार्य मंत्रालय** भर्ती के पहले चरण में 10,391 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती होनी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दिसंबर, 2023 में भर्ती परीक्षा आयोजित की है। अंतिम चयन सूची जनवरी 2024 तक तैयार होने की संभावना है।
24.	39	**सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल** कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया करने तथा पेयजल के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को ₹**5,300** करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरूद्धार विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर)** सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए ₹5,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है/सिफारिश की है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
25.	40	**पीएम आवास योजना** पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर ₹79,000 करोड़ से अधिक किया जा रहा है।	**ग्रामीण विकास विभाग** प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2.95 करोड़ घरों के समग्र लक्ष्य में से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और दिसंबर, 2023 तक 2.52 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई) के रूप में ₹54,487 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है, जिसमें से दिसंबर 2023 तक ₹13,428.20 करोड़ की राशि जारी की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएमएवाई-जी के तहत घरों के निर्माण का लक्ष्य 56.71 लाख घर है, जिसमें से दिसंबर 2023 तक 13,36,602 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत स्वीकृत 118.63 लाख घरों में से 113.43 लाख घरों में निर्माण शुरू हो चुका है और दिसंबर 2023 तक 78.56 लाख घरों का निर्माण पूरा/वितरित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में पीएमएवाई-यू के लिए ₹25,103.03 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष, ₹11,462 करोड़ का उपयोग किया गया है। योजना की अवधि 31.12.2024 तक बढ़ा दी गई है।
26.	41	**भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)** 'भारत साझा पुरालेख निधान' एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।	**संस्कृति मंत्रालय** 300 डीपीआई के रिजाल्यूलेशन के साथ टीआईएफएफ, पीडीएफ, पीएनजी और जेपीजी प्रारूपों में अब तक 29,260 एस्टाम्पेज (38.47%) स्कैन किए गए हैं। एक समर्पित टीम ने सभी एस्टाम्पेज के वर्गीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। फ्रैजाइल एस्टैम्पेज की पहचान की गई है और उन्हें सुदृढ़

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			किया गया है। समानांतर में, सभी एस्टाम्पेज को उनकी विशिष्ट पहचान के लिए एक बारकोड प्रदान किया गया है। इसके साथ ही, मेटाडाटा के प्रलेखन का कार्य आरंभ किया गया है। डेटाबेस बनाने के लिए 14,000 पृष्ठों की मैन्युअल रूप से प्रतिलिपि तैयार की गई है।
27.	42	**निर्धन कैदियों को सहायता** जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों, जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	**गृह मंत्रालय (एमएचए)** गृह मंत्रालय ने उन गरीब कैदियों को राहत प्रदान करने के लिए जो अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में असमर्थ हैं या वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत पाने में असमर्थ हैं, के लिए "गरीब कैदियों को समर्थन" नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पालन किए जाने वाले 'दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया' को 19.06.2023 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के साथ साझा किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां इस प्रयोजन के लिए नामित मंत्रालय की केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे प्रत्येक जिला स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति गठित करें जो प्रत्येक मामले में निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगी और सीएनए खाते से निधियां आहरित करेगी तथा गरीब कैदियों को राहत प्रदान करेगी।
28.	47	**राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता** मैंने अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को सम्पूरक नीतिगत कार्रवाईयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ₹1.3 लाख करोड़ के उल्लेखनीय	**व्यय विभाग** पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 पर दिशानिर्देश 03.02.2023 को जारी किए गए हैं, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रयोज्य हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		रूप से बढ़े परिव्यय के साथ, राज्य सरकारों के लिए **50**-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और एक वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है।	
29.	48	**अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों में वृद्धि करना** नवस्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय अवसंरचना, प्रधानतया सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले रेलवे, सड़क, शहरी अवसंरचना और पावर सहित, में और अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा।	**आर्थिक कार्य विभाग** अवसंरचना वित्त सचिवालय की स्थापना अनेक पहलों के माध्यम से अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अवसंरचना वित्त सचिवालय घरेलू और विदेशी स्त्रोतों, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, विकास वित्त संस्थाओं और वित्तीय बाजारों से अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए दीर्घावधिक पूंजी को सरणीबद्ध करने के उद्देश्य से अनेक उपाय कर रहा है। क्रेडिट एन्हांसमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए नई क्रेडिट रेटिंग सिस्टम, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)/इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) और म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसे अन्य तंत्रों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
30.	49	**अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची** अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची की अमृत काल के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्तपोषण फ्रेमवर्क की संस्तुति करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।	**आर्थिक कार्य विभाग** एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है और हितधारकों के अनेक परामर्श आयोजित किए गए हैं। समिति सिफारिशों को अंतिम रूप दे रही है और अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही आने की संभावना है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
31.	50	**रेलवे** रेलवे के लिए ₹2.40 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना है।	**रेल मंत्रालय** **व्यय विभाग** रेल मंत्रालय को ₹2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय मुहैया कराया गया है। ₹2.4 लाख करोड़ के बजट परिव्यय में क्षमता संवर्धन, संरक्षा संबंधी कार्यों और अन्य योजना शीर्षों पर व्यय शामिल है। इसमें से ₹1.7 लाख करोड़ का उपयोग नवंबर, 2023 तक किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में पूर्ण पूंजी परिव्यय का उपयोग किया जाएगा।
32.	51	**संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स)** पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंत तक संपर्कता के लिए सौ महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं। ये परियोजनाएं, निजी स्रोतों के ₹**15,000** करोड़ सहित, ₹**75,000** करोड़ के निवेश के साथ, प्राथमिकता के आधार पर आरंभ की जाएंगी।	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के भाग के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने अब तक क्रमश: 65 सड़क परियोजनाओं और 25 रेल परियोजनाओं की पहचान की है। **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)** 65 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं में से ₹4,115 करोड़ की लागत से 84 किमी लंबाई की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और ₹9,633 करोड़ की लागत से 504 किमी लंबाई की परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं (अब तक 332 किमी लंबाई में कार्य पूर्ण हो चुका है)। इसके अलावा, एमओआरटीएच ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग ₹3,030 करोड़ की लागत से कुल 77 किलोमीटर की परियोजनाओं को आवंटित करने की योजना बनाई है। **रेल मंत्रालय (एमओआर)** 25 महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतराल परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और अन्य परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। **पत्तन, पोत्त परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू)** 107 बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़क और रेल अवसंरचना के अंतराल (60 सड़कें और 47 रेल) डीपीआईआईटी द्वारा

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			एमओआरटीएच, एमओआर, एमओपीएसडब्ल्यू और राज्य समुद्री बोर्डों के परामर्श से गति शक्ति के तहत तैयार की गई व्यापक बंदरगाह कनेक्टिविटी योजना (सीपीसीपी) का भाग हैं।
33.	52	**क्षेत्रीय संपर्कता** क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए पचास अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा।	**नागरिक विमानन मंत्रालय** व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के अनुमोदन से, तीन वर्षों के लिए यानी 01.04.2023 से 31.03.2026 तक ₹1000 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), सिविल एन्क्लेव, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के असेवित और कम सेवा वाले हवाई पट्टियों/हेलीपैडों/हेलीपैडों/हेलीकॉप्टरों/वाटर एयरोड्रोम और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार/विकास के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के चरण-II के तहत पुनरुद्धार/विकास के लिए अब तक 33 हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों/वाटर एयरोड्रोम/एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड की पहचान की गई है। 28.07.2023 को आयोजित पीईसी (परियोजना मूल्यांकन समिति) की 10वीं बैठक के दौरान, पीईसी ने 15 एयरोड्रोम के विकास के लिए ₹410 करोड़ की विकास निधि का अनुमोदन किया/मंजूरी दी। शेष हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और वाटर एयरोड्रोम की पहचान उड़ान 5.1 (हेलीपोर्ट)/उड़ान 5.2 की चल रही और भावी बोलियों के दौरों से की जानी है।
34.	53	**भविष्य के संधारणीय शहर** राज्यों और शहरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे हमारे शहरों को 'भविष्य के संधारणीय' शहरों में रूपांतरित करने के लिए शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां करें। इसके लिए भूमि संसाधनों	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** राज्यों ने एमओएचयूए को उपलब्धियां और कार्य निष्पादन के साथ अपने बेसलाइन और सुधार रोडमैप प्रस्तुत किए हैं। रोडमैप जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2023 थी। आवासन और शहरी कार्य के संबंध में मंत्रालय ने रोडमैप के मूल्यांकन के बाद पहली किस्त के रूप में 20% जारी करने के लिए व्यय विभाग को कुल ₹2,32388 करोड़ की 15 मुख्य भूमि वाले राज्यों के लिए अपनी सिफारिश भेजी है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		का कुशल उपयोग करना होगा, शहरी अवसंरचना के लिए पर्याप्त संसाधनों का सृजन करना होगा, पारगमन-उन्मुखी विकास करना होगा, शहरी भूमि की उपलब्धता और वहनीयता बढ़ानी होगी और सभी के लिए अवसर प्रदान करने होंगे।	उत्तर-पूर्वी/पहाड़ी राज्यों (असम को छोड़कर) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे और इन राज्यों से 15.12.2023 तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की उम्मीद थी। अब तक, 9 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में इनका मूल्यांकन किया जा रहा है। व्यय विभाग ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24- भाग III (शहरी नियोजन सुधार) पर पूरक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
35.	54	**म्युनिसिपल बांड के लिए शहरों को तैयार करना** संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार लाकर और शहरी अवसंरचना पर प्रयोक्ता प्रभार लगाकर शहरों को म्युनिसिपल बांड के लिए अपनी ऋण-प्राप्ति योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** व्यय विभाग ने पूंजी निवेश 2023-24- भाग III (शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि उन्हें म्यूनिस्पिल बांड के लिए क्रेडिट योग्य बनाने और नगरपालिका बांड जारी करने के लिए) के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना पर पूरक दिशानिर्देश जारी किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ संपत्ति कर शासन सुधारों और प्रयोक्ता प्रभारों की रिंग फेंसिंग के विषय को शामिल करते हुए राज्यों को अपना रोडमैप प्रस्तुत करने के लिए 19.06.2023 को अनुपूरक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब तक 21 राज्यों ने अपना रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिनमें से 12 राज्यों ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अपनी प्रस्तुतियां दे दी हैं। आवासन और शहरी कार्य के संबंध में आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय ने 10 राज्यों के लिए कुल ₹1,625 करोड़ की कुल राशि के लिए व्यय विभाग को अपनी सिफारिश की सूचना दे दी है।
36.	55	**शहरी अवसंरचना विकास निधि** आरआईडीएफ की तरह प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम	**वित्तीय सेवाएं विभाग** यह निधि ₹10,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में पहले ही सृजित की जा चुकी है और दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		से शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को यूआईडीएफ का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ-साथ मौजूदा स्कीमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम इस उद्देश्य के लिए ₹10,000 करोड़ प्रति वर्ष की धनराशि उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं।	50,000 से 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों (2011 की जनगणना के अनुसार) को कई पात्र कार्यकलापों के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। नई और चालू दोनों परियोजनाएं यूआईडीएफ का उपयोग करने की पात्र हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक ने यूआईडीएफ के संबंध में दिशा-निर्देश और नियामक आबंटन दोनों राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार परिचालित किए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक को राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, त्रिपुरा, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और असम सरकारों से यूआईडीएफ के अंतर्गत कुल ₹51484 करोड़ की 37 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।
37.	56	**शहरी स्वच्छता** सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों का मल-कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन-होल को मशीन-होल के रूप में प्रयोग करके 100 प्रतिशत मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा। सूखे और गीले अपशिष्ट के वैज्ञानिक-प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।	**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** अब तक, 1,709 शहरों (35%) ने मैनहोल से मशीन होल में परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र, जनशक्ति, उपकरण और सुरक्षा गियर के मामले में अपनी उपलब्धि पर्याप्तता स्थापित करते हुए खुद को 'सफाई मित्र सुरक्षित शहर' घोषित किया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
38.	58	**मिशन कर्मयोगी** मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत, केंद्र, राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता-निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित कर रहे हैं। सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आईगॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों का उन्नयन करने के लिए और लोक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे।	**कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग** दिसंबर 2023 तक 38 मंत्रालयों/विभागों ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएं (एसीबीपी) शुरू की हैं। 88 मंत्रालयों और 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 27,70,097 उपयोगकर्ताओं को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। पोर्टल में 1,538 घंटों की कुल अवधि के 813 पाठ्यक्रम प्रकाशित किए गए हैं और 37,77,243 पाठ्यक्रमों को संचयी रूप से समावेशित किया गया है।
39.	59	'व्यापारिक सुगमता' को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए, हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए 'जन विश्वास' विधेयक पेश किया है। इस बजट में हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य को सामने लाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है।	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग** इस प्रक्रिया का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार से व्यवसाय और नागरिक इंटरफेस को सरल, युक्तिसंगत, डिजिटाइज़ और डिक्रिमिनलाइज़ करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में सुधार करना है। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 को अगस्त 2023 में अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम ने 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केन्द्रीय अधिनियमों के 183 उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
40.	60	**कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टीफिशिएल इंटेलीजेंस) के लिए उत्कृष्टता केंद्र** "कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं" के विजन को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।	**उच्चत्तर शिक्षा विभाग** तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) - स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और संधारणीय शहरों में से प्रत्येक में एक केंद्र स्थापित करने के लिए व्यय वित्त समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 की अवधि के लिए ₹990 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है, जिसमें तीन सीओई में प्रत्येक के लिए ₹310 करोड़, सीपीएमयू के लिए ₹25 करोड़ (₹5 करोड़ प्रति वर्ष) शामिल हैं। चरण-I प्रस्तावों के लिए ₹30 करोड़ और मध्य/अंतिम मूल्यांकन के लिए ₹5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह योजना एक शीर्ष समिति द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ और संबंधित लाइन मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आईआईटी जम्मू में सीपीएमयू (केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई) की स्थापना की गई है जो परियोजना के समय पर निष्पादन और निगरानी में शीर्ष समिति की सहायता करेगी।
41.	61	**राष्ट्रीय डाटा शासन नीति** स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इससे अज्ञातनाम से आने वाले डाटा तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।	**इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** राष्ट्रीय आंकड़ा शासन नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
42.	62	**अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया का सरलीकरण** 'एक आकार सबके लिए उपयुक्त' के बजाए 'जोखिम आधारित' मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतः अनुकूल हो।	**वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस)** **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) और सीकेवाईसी नंबर को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति ने 28.04.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और व्यापक सिफारिशें दी हैं। इसके अलावा, बजट घोषणा को लागू करने के लिए, एक टास्क फोर्स कार्यरत है जो अन्य बातों के साथ-साथ सीकेवाईसीआर डेटा में प्रत्येक केवाईसी रिकॉर्ड को विश्वासनीय स्तर प्रदान करने के लिए सांख्यिकीय मॉडल को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है।
43.	63	**पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान** विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित निकायों द्वारा अनुरक्षित व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजीलॉकर सेवा और 'आधार' का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा।	**इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)** डिजिलॉकर ने एड्रेस अपडेट फीचर के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) पहले ही विकसित कर लिया है और इसे सभी संबंधित भागीदारों/विभागों के लिए सुलभ बना दिया है। तकनीकी इंटरफेस और एपीआई प्रदान किए गए हैं, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों को सिस्टम के साथ समेकित रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाया गया है। एक सफल 'गो लाइव' की सुविधा के लिए, एमईआईटीवाई डिजिलॉकर के साथ एकीकृत करने के लिए राजस्व विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी जैसे कुछ प्रारंभिक भागीदारों के साथ काम कर रहा है। इन भागीदारों के साथ सफल एकीकरण के बाद सुविधाएँ 'गो लाइव' हो जाएंगी।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
44.	64	**सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता** जिन बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) होना अपेक्षित है, उनके लिए विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा और इसे विधिक अधिदेश के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा।	**आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग** राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) ने पैन को एकल व्यवसाय आईडी के रूप में लागू करने के लिए अपनी तकनीकी संरचना को उन्नत किया है। एनएसडब्ल्यूएस पर पंजीकरण कराने वाली प्रत्येक इकाई को अपना पैन जमा करना अनिवार्य हो गया है। एनएसडब्ल्यूएस ने एनएसडब्ल्यूएस पर पंजीकरण करने वाले उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने के लिए एक स्व-घोषणा आधारित तंत्र को परिभाषित किया है जिसमें एनएसडीएल एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से पैन सत्यापन किया जाएगा और संगठन के अधिकृत प्रतिनिधि के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का उपयोग करके उपयोगकर्ता का सत्यापन किया जाएगा। एनएसडब्ल्यूएस पर पैन सत्यापन और उपयोगकर्ता सत्यापन लागू कर दिया गया है और 07.09.2023 से अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकार की एजेंसियों को पैन के साथ उनके द्वारा बनाए गए पहचानकर्ताओं की मैपिंग बनाने और इसे एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि एसबीआईडी के रूप में पैन को लागू किया जा सके।
45.	65	**एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया** एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग-अलग प्रस्तुत करने की अपेक्षा से बचने के लिए, 'एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया' वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत प्ररूपों में दायर करने की इस	**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** एकल पहचानकर्ता - पैन द्वारा चिन्हित की गई प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) में सूचनाओं को सम्बद्ध करने से राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से विभिन्न विवरणी फाइल करने के लिए एक एकीकृत तंत्र स्थापित करने के लिए मंच तैयार होगा और इस तरह सूचना की धोखाधड़ी को कम किया जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उन पहचानकर्ताओं में से प्रत्येक द्वारा भविष्य में किए जाने वाले लेनदेन एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से शुरू

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		प्रक्रिया को दायरकर्ता के विकल्प के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा।	किए जा सकते हैं, इस प्रकार एक एकीकृत फाइलिंग तंत्र का निर्माण होगा।
46.	66	**विवाद से विश्वास I - सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए राहत** कोविड अवधि के दौरान यदि एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्पादित करने में विफल रहे हों, तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी।	**व्यय विभाग** यह योजना 17.04.2023 को शुरू हुई और दावे सरकारी ई-मार्केटप्लेस और भारतीय रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (आईआरईपीएस) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने थे।
47.	67	**विवाद से विश्वास II - संविदागत विवादों का निपटान** सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों, जिनमें माध्यस्थ पंचाट को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है, के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। इसे विवाद की लंबितता के स्तर पर निर्भर रहते हुए श्रेणीकृत निपटान शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा।	**व्यय विभाग** योजना के दिशानिर्देश दिनांक 29.05.2023 को जारी किए गए थे। दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना दिनांक 15.07.2023 से शुरू हुआ। दावे सरकारी ई-मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने थे।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
48.	68	**राज्य सहायता मिशन** राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन तीन वर्षों के लिए जारी रहेगा।	**नीति आयोग** 1. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, पुदुचेरी, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, चंडीगढ़ और मणिपुर से एसआईटी और एम एंड ई इकाई की स्थापना के लिए कुल 19 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 2. मिशन कार्यान्वयन समिति (एमआईसी) द्वारा सात एमआईसी बैठकों में 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) के प्रस्ताव को संशोधनों के अध्यधीन अनुमोदित किया गया है। 3. 4 राज्यों- कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम के लिए 6.44 करोड़ रुपये का संस्वीकृति आदेश जारी किया गया है और स्वीकृत राशि राज्यों को वितरित की गई है। 4. 'राज्यों के लिए नीति पोर्टल' विकसित किया जा रहा है और नीति, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और डेटा के लिए ज्ञान संसाधन नीति आयोग के शीर्ष और तकनीकी भागीदारों के साथ समीक्षा के अध्यधीन हैं। 5. 'राज्यों नीति पोर्टल' के उपयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का अभिमुख करने और एकसाथ लाने और पार अधिगम सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
49.	69	**परिणाम आधारित वित्तपोषण** प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को, प्रायोगिक आधार पर, बेहतर तरीके से आबंटित करने के लिए चुनिंदा स्कीमों के वित्तपोषण को 'इनपुट आधारित' से 'परिणाम-	**नीति आयोग** संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करने के बाद प्रारंभिक आधार पर परिणाम आधारित वित्तपोषण (आरबीएफ) कार्यान्वयन के लिए दो योजनाओं की पहचान की गई है (i) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, और,

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		आधारित' में बदल दिया जाएगा।	(ii) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)। प्रायोगिक परियोजना तैयार करने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की स्थापना और संगठनों के साथ जानकारी साझा करने के संभावित मार्गों की पहचान करने का काम चल रहा है।
50.	70	**ई-न्यायालय** न्याय प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, ₹7,000 करोड़ के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 शुरू किया जाएगा।	**न्याय विभाग** भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की मंजूरी के साथ, न्याय विभाग ने बीएसएनएल और एनआईसी के लिए ₹102.50 करोड़ जारी किए हैं और 26 उच्च न्यायालयों (यानी, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश), गुवाहाटी (असम), गुवाहाटी (मिजोरम), गुवाहाटी (नागालैंड), हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पटना , पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और, उत्तराखंड) के उच्च न्यायालयों) को स्कैनिंग और डिजिटलीकरण, ई-सेवा केंद्रों की स्थापना, हार्डवेयर की खरीद, सौर ऊर्जा बैकअप आदि के लिए ₹110.24 करोड़ उप-आवंटित किए गए हैं।
51.	71	**फिनटेक सेवाएं** भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल हैं के द्वारा सुगम बनाया गया है। अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजीलॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा।	**इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** डिजिलॉकर को विविध फिनटेक संस्था श्रेणी के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिसमें 14 अनुसूचित निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 19 जीवन बीमा कंपनियां और 26 साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां शामिल हैं। डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के प्रकार जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पासबुक, मनरेगा कार्ड आदि का प्रसार समाज के सभी वर्गों के वित्तीय सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा, फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना डिजिलॉकर के दायरे में किया जाने वाला एक सतत कार्यकलाप है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
52.	72	**निकाय डिजीलॉकर** एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चेरीटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी।	**इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** संस्थागत डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के विकास के भाग के रूप में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), एमसीए21, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ विचार-विमर्श और प्रदर्शन हुए हैं। संस्थागत डिजिलॉकर के वेब और ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस) दोनों रूपों को तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के लिए संस्थागत डिजिलॉकर प्रारंभिक कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में खोला गया है और अब यह अन्य एजेंसियों के लिए उपलब्ध है। **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** संस्थागत लॉकर सेवा कंपनी के निदेशकों या एमएसएमई मालिकों को संस्थागत डिजिलॉकर खाता बनाने की अनुमति देगी। कंपनी डेटा सत्यापन कंपनी सूचना संख्या और निदेशक सूचना आकड़ों के आधार पर किया जाएगा। एमएसएमई उद्यमों के लिए सत्यापन कार्य रजिस्ट्री के आधार पर किया जाएगा। सीआईएन और उद्यम आधारित पंजीकरण के अलावा, संस्थागत लॉकर संगठन पैन आधारित साइनअप प्रवाह को भी लागू कर रहा है।
53.	73	**5जी सेवाएं** 5जी सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जिनसे अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की	**दूरसंचार विभाग (डीओटी)** **उच्चतर शिक्षा विभाग (डीओएचई)** निविदा प्राप्त करने की दरों और संस्थानों, शिक्षकों, छात्रों, स्टार्टअप आदि द्वारा 5जी प्रयोगशालाओं के इष्टतम उपयोग के अनुरूप 100 5जी प्रयोगशालाओं के लिए संशोधित बजट आवश्यकताओं को मंजूरी दी गई। टीसीआईएल द्वारा चुने गए विक्रेताओं को रोलआउट समयसीमा (फरवरी 2024 तक उपकरणों का वितरण, मार्च 2024 तक

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ-साथ, स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म-कृषि, इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों, और हैल्थकेयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी।	प्रयोगशालाओं की स्थापना और संचालन) को पूरा करने के लिए पत्र भेजा गया था, टीसीआईएल द्वारा जल्द ही पीओ जारी किया जाएगा। छात्रों और स्टार्टअप्स का कौशल उन्नयन/मार्गदर्शन के लिए 5जी जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।
54.	74	**प्रयोगशाला में बनाये गए हीरे** प्रयोगशाला में बनाये गए हीरे (एलजीडी) एक प्रौद्योगिकी आधारित और नवीन सिद्धांत से प्रेरित एक उभरता क्षेत्र है जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये हीरे पर्यावरण हितैषी हैं जिनमें वही प्रकाशीय और रासायनिक गुण होते हैं जो प्राकृतिक हीरों में होते हैं। एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए एक आईआईटी को पांच वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।	**वाणिज्य विभाग** प्रयोगशाला में हीरा बनाने के अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न विन्यास की एमपीसीवीडी मशीनों की खरीद के लिए क्रय आदेश दिया जा चुका है और कुछ अन्य मशीनों के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। इस शोध के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मद्रास को अभिचिह्नित किया गया है और अनुबंध वर्ष 2023 से 5 साल के लिए है।
55.	75	एलजीडी सीड्स के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इन पर सीमा-शुल्क की दर की समीक्षा करने का प्रस्ताव भाषण के भाग ख में दर्शाया जाएगा।	**राजस्व विभाग** संशोधित सीमा शुल्क दरें दिनांक 01.02.2023 की अधिसूचना के तहत जारी की गई हैं

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
56.	77	**हरित हाइड्रोजन मिशन** हाल में ₹19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने, तथा भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है।	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (साइट) कार्यक्रम के लिये रणनीतिक हस्तक्षेप के लिये योजना दिशानिर्देश 28 जून, 2023 को अधिसूचित किये गए हैं। इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण (1.5 गीगावॉट) और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन (0.45 एमएमटी) के भाग-1 के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। चौदह बोली लगाने वालों ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बोलियां लगायी हैं, जबकि 21 बोली लगाने वालों ने इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए बोलियां लगायी हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मानक (2किग्रा. सीओ2, एच2 प्रति कि.ग्रा. के समतुल्य) 18 अगस्त, 2023 को अधिसूचित किया गया है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुसंधान और विकास रूपरेखा 7 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। इसके अलावा, अनुसंधान और विकास योजना, परीक्षण योजना, कौशल योजना और प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
57.	78	**ऊर्जा परिवर्तन** इस बजट में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकताप्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए ₹35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।	**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय** हरित ऊर्जा और निवल शून्य पहल के लिए ओएमसीएस (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) को ₹30,000 करोड़ की पूंजीगत सहायता: दिनांक 30.11.2023 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में ओएमसी में इक्विटी निवेश के लिए अधिकतम ₹15,000 करोड़ प्रदान किए जा सकते हैं। ईएफसी की सिफारिशों के आधार पर सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
58.	79	**ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं** अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 एमडब्ल्यूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधीयन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा।	**विद्युत मंत्रालय** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 06.09.2023 को आयोजित अपनी बैठक में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के विकास के लिए व्यवहार्यता संबंधी कमी के लिए वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दे दी है। देश भर में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के संवर्धन के लिए दिशानिर्देश दिनांक 10.04.2023 को जारी किए गए हैं।
59.	80	**नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण** लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली ₹20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी जिसमें ₹8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है।	**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** पारेषण परियोजना को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा दिनांक 18.10.2023 को 20773.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और (सीएफए) परियोजना लागत के @ 40% यानी ₹8309.48 करोड़ केंद्रीय वित्तीय की सहायता के साथ अनुमोदित किया गया है। पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कार्यान्वयन एजेंसी है, और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन (एफईईडी) से संबंधित अध्ययन कर रही है, जिसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है। यह परियोजना 7 वर्ष में, अर्थात वित्त वर्ष 2029-30 तक पूरी हो जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 से निधि वितरण की संभावना है।
60.	81	**हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम** व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों, व्यक्तियों	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** 1. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से विभिन्न हितधारकों के सकारात्मक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।	मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए 12.10.2023 को 'ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023' को अधिसूचित किया गया है। 2. जीसीपी के तहत कार्यकलापों के लिए आठ क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैं: (i) वृक्षारोपण (ii) जल प्रबंधन (iii) संधारीय कृषि (iv) अपशिष्ट प्रबंधन (v) वायु प्रदूषण, (vi) मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन (vii) इकोमार्क (viii) संधारीय भवन और अवसंरचना। 3. ग्रीन क्रेडिट नियमावली, 2023 के तहत संचालन समिति का गठन दिनांक 17.10.2023 को किया गया है। ग्रीन क्रेडिट नियमावली, 2023 के तहत तीन तकनीकी समितियों का गठन दिनांक 17.10.2023 को निम्न कार्यों के लिए किया गया है: (i) वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट (ii) जल प्रबंधन आधारित ग्रीन क्रेडिट (iii) जीसीपी रजिस्ट्री, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पोर्टल, सत्यापनकर्ताओं आदि के लिए दिशानिर्देश तैयार करेना। 4. जीसीपी रजिस्ट्री/ऐप, वेब पोर्टल और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए एक एजेंसी की सेवाएं की जा रही हैं। 5. मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए दो मसौदा अधिसूचनाएँ प्रकाशित की हैं: (i) वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट के लिए प्रारूप पद्धति (ii) जल संचयन आधारित ग्रीन क्रेडिट के लिए मसौदा पद्धति।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
61.	82	**पीएम-प्रणाम** "पृथ्वी माता के पुनर्रुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम" राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा।	**उर्वरक विभाग** पीएम-प्रणाम योजना के तहत, पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करके एक विशेष वित्तीय वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उर्वरक सब्सिडी का 50% बचाया जाता है जिसे उस राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। पीएम प्रणाम के दिशानिर्देश राज्यों को परिचालित कर दिया गया हैं, इसकी तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अस्थायी कार्य योजना प्राप्त हो गई है। इसके अलावा, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, नैनो/जैव/जैविक उर्वरकों आदि जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।
62.	83	**गोबरधन स्कीम** गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक स्कीम के तहत 500 नए 'अवशिष्ट से आमदनी' संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं जिनमें कुल लागत ₹10,000 करोड़ होगी। मैं भाग ख में इसका जिक्र करूंगी। प्राकृतिक और बायो गैस का विपणन कर	**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग** गोबरधन के तहत 500 नए "अपशिष्ट से धन" संयंत्रों के संबंध में प्रगति: (i) 516 संयत्र निर्माणाधीन स्तर पर हैं, जिनमें 129 कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र और 387 बायोगैस संयंत्र हैं (ii) 192 संयंत्र क्रियाशील हैं जिनमें 12 सीबीजी संयंत्र और 180 बायोगैस संयंत्र शामिल हैं। (iii) राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) ने शहरी गैस वितरण क्षेत्र के सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंडों में कॉमप्रेस्ड बायो-गैस के चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण को मंजूरी दे दी है। (iv) गोबरधन संयंत्रों से उत्पादित जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना को सितंबर, 2023 में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का सीबीजी अधिदेश यथासमय लाया जाएगा। बायो-मास के संग्रहण और जैव-खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी।	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)** (i) दिसंबर 2023 तक एमओपीएनजी के लिए 125 सीबीजी संयंत्रों के लक्ष्य में से, 4 सीबीजी संयंत्र चालू हो चुके हैं और निर्माण के विभिन्न चरणों के तहत 63 संयंत्रों में से लगभग 50 संयंत्र वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान चालू होने की संभावना है। बाकी परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रस्तावकों की पहचान कर ली गई है। (ii) व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने "बायोगैस के संग्रह में सहायता करने के लिए बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए कॉमप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना" को मंजूरी/सिफारिश की है। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** 9,885 टीपीडी (प्रति दिन टन) की संचयी क्षमता वाले अड़सठ संयंत्रों को एसबीएम 2.0 / राज्य निधि के तहत अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 625 टीपीडी क्षमता वाले 12 संयंत्र एसबीएम-यू 2.0 के तहत अनुमोदन के अधीन हैं
63.	84	**भारतीय प्राकृतिक खेती बायो-इनपुट संसाधन केंद्र** अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** प्राकृतिक खेती की प्रस्तावित योजना अर्थात राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के तहत, बायो-इनपुट संसाधन केंद्रों के कार्यान्वयन की अवधारणा को शामिल किया गया है और अनुमोदन के लिए इस पर कार्रवाई की जा रही है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
64.	85	**मिश्टी** वन-रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर, मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रूव पौधारोपण के लिए 'तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगू पहल' मिश्ती की शुरुआत की जाएगी।	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा तटरेखा आवास और मूर्त आय (मिश्टी) के लिए मैंग्रोव पहल शुरू की गई थी। एमआईएसएचटीआई गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए परियोजना परिव्यय के रूप में ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और पुदुचेरी ने अपनी कार्यान्वयन योजनाएँ प्रस्तुत की हैं। **ग्रामीण विकास विभाग** मैंग्रोव वृक्षारोपण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत एक अनुमेय गतिविधि है। राज्य योजना के उचित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, महात्मा गांधी नरेगा के तहत मैंग्रोव वृक्षारोपण कर रहे हैं।
65.	86	**अमृत धरोहर** आर्द्रभूमि जैव विविधता का धारण करने वाली अतिमहत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे हाल के मन की बात में कहा है, "अब हमारे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है। जबकि 2014 से पहले, इनकी संख्या मात्र 26 थी....." स्थानीय समुदाय संरक्षण के प्रयासों में हमेशा आगे रहे हैं। सरकार अमृत धरोहर स्कीम के माध्यम से इनके विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देगी। इस स्कीम को	**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)** 1. अमृत धरोहर कार्यान्वयन रणनीति 5 जून 2023 को शुरू की गई थी। 2. सभी 75 रामसर स्थलों की जीव-जंतु सूची पूरी हो चुकी है और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) द्वारा प्रकाशित की गई है। 3. 75 रामसर साइटों के लिए पुष्प सूची तैयार की जा रही है। 4. आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के लिए जलवायु सह-लाभ मूल्यांकन के लिए एक पद्धति विकसित की जा रही है। 5. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को 75 रामसर स्थलों (आर्द्रभूमि) की पारिस्थितिक प्रोफ़ाइल को पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) में शामिल करने का निर्देश दिया गया है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।	6. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सभी 75 रामसर स्थलों (आर्द्रभूमि) पर जल गुणवत्ता मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया है। 7. पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर नेचर गाइड कोर्स तैयार किया गया है। नेचर गाइडों को प्रशिक्षण देने के लिए पांच प्राथमिकता स्थलों (जैसे, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा में भितरकनिका मैंग्रोव और चिल्का झील, मध्य प्रदेश में सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर) की पहचान की गई है। 8. आर्द्रभूमि से संबंधित जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के साथ 6 शैक्षिक वीडियो की स्क्रिप्ट/सामग्री को अंतिम रूप दिया गया है।
66.	87	**तटीय नौवहन** तटीय नौवहन को व्यवहार्यता अंतर निधियन के साथ सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि यह यात्रियों और माल-भाड़े दोनों के लिए परिवहन की ऊर्जा कुशल एवं कम लागत वाली प्रणाली है।	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची के तहत 'तटीय शिपिंग' को शामिल करने और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए सहायता का प्रस्ताव विचाराधीन है।
67.	88	**वाहनों का प्रतिस्थापन** प्रदूषण करने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण-हितैषी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन	**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय** देश भर में कुल 42 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) और 36 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) मौजूद हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आरवीएसएफ में नवंबर 2023 तक लगभग 27,400 सरकारी

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए, मैंने केन्द्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की हैं। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एंबुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी।	वाहनों को स्क्रैप किया गया। सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, नागरिक प्रोत्साहन की घोषणा और एटीएस अवसंरचना की स्थापना जैसे निर्धारित लक्ष्यों से ₹3,000 करोड़ के बड़े प्रोत्साहन के साथ इस योजना को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भी लागू किया गया है।
68.	90	**प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0** अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझीदारी, और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई (कृत्रिम बुद्धिमता), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोनों, और सॉफ्ट स्किल जैसे नये युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय** व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) को एक समग्र केंद्रीय योजना "कौशल भारत कार्यक्रम" के रूप में जारी रखने की मंजूरी/अनुशंसा की है। यह योजना अब मंजूरी के लिए विचाराधीन है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
69.	91	**स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म** निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशलवर्द्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा : • मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करने • एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने, और • उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय** स्किल इंडिया डिजिटल, एक अत्याधुनिक मंच और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का एक अभिन्न भाग का शुभारंभ 13 सितंबर 2023 को किया गया है। पैन के साथ आधार आधारित ईकेवाईसी एकीकरण (संगठन के सत्यापन के लिए), भुगतान गेटवे एकीकरण, अभ्यर्थी के सत्यापित विवरण के लिए यूपीआई और डिजीलॉकर आदि को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित विश्वसनीय क्रेडेंशियल और भुगतान के लिए एकीकृत किया गया है। सरकारी निकायों, नियोक्ताओं, मूल्यांकन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, कौशल प्रदाताओं, सलाहकारों/परामर्शदाताओं, मोबिलाइज़र, मीडिया इत्यादि जैसे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रासंगिक हितधारकों को शामिल होने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। कौशल और उद्यमिता योजनाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, योजना निर्माण और योजना डिस्कवरी मॉड्यूल बनाया गया है।
70.	92	**राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना** अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक कुल 5.07 लाख प्रशिक्षु की सेवाएं ली गई हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
71.	93	**पर्यटन** एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से, कम से कम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। पर्यटक अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा, सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा।	**पर्यटन मंत्रालय** पर्यटन मंत्रालय ने 50 गंतव्यों के समग्र विकास के लिए स्वदेश दर्शन के तहत एक उप-योजना 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिसका उद्देश्य पर्यटक मूल्य श्रृंखला के सभी बिंदुओं पर पर्यटक अनुभव को बढ़ाना है।
72.	94	'देखो अपना देश' पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्द्धन और उद्यमिता विकास का समन्वयन स्थापित किया जाएगा। यह मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधान मंत्री की अपील से शुरू की गयी थी। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए, 'स्वदेश दर्शन	**पर्यटन मंत्रालय (एमओटी)** पर्यटन मंत्रालय ने "अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता (आईआईटीएफ) और अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) प्रमाणन" कार्यक्रम शुरू किया है, जो एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधा प्रदाता/गाइड लोगों का एक समूह बनाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच तैयार करना है, जिसमें पर्यटन की संभावना वाले दूरदराज के क्षेत्र भी शामिल है। अतुल्य भारत पर्यटन फैसिलिटेटर बेसिक कोर्स ऑनलाइन परीक्षा पांच बार आयोजित की गई है, जिसमें 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आईआईटीएफ बेसिक परीक्षा पूरी कर

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		योजना' शुरू की गयी थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत, सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।	ली है और लगभग 2300 क्षेत्रीय स्तर के गाइड (आरएलजी) ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम की पहल के तहत, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम),जो एमओटी के तहत एक स्वायत्त निकाय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से इन स्थलों पर प्राकृतिक पर्यटन को मजबूत करने और स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए विभिन्न रामसर स्थलों के आसपास स्थानीय समुदाय के सदस्यों की क्षमता का सृजन करेगा। राज्य वन विभाग की मदद से, इस प्रशिक्षण को प्रदान करने और बाद में उन्हें नेचर गाइड के रूप में प्रमाणित करने के लिए सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य के आसपास स्थित स्थानीय समुदायों से तीस प्रतिभागियों की पहचान की गई है। वाइब्रेंट गांवों के लिए कार्य योजना गृह मंत्रालय (एमएचए) के परामर्श से कार्यान्वित की जा रही है। **गृह मंत्रालय (एमएचए)** वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (वीवीपी) को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के 19 जिलों में उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों में अभिचिह्नित गांवों के व्यापक विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। आज की तारीख तक, वीवीपी के माध्यम से वित्त पोषण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ₹114.38 करोड़ की 203 कार्यों/परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
73.	95	**यूनिटी मॉल** राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक	**पर्यटन मंत्रालय** **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** डीपीआईआईटी के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा यूनिटी मॉल का विकास किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने प्रति राज्य में

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी-अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	एक यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट साझा करने का अनुरोध किया गया है। यूनिटी मॉल का निर्माण भी 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24' के तहत एक योग्य परियोजना है, जिसके माध्यम से वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग राज्यों को पचास साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है।
74.	97	**एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी** पिछले वर्ष, मैंने एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव दिया था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्पस में ₹9,000 करोड जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इससे अतिरिक्त ₹2 लाख करोड़ का संपार्श्विक मुक्त गारंटीयुक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा, ऋण की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी।	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लागू है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीजीटीएमएसई के कोष में ₹9,000 करोड़ के स्वीकृत निवेश में से, कुल मिलाकर ₹8,000 करोड़ की धनराशि अनुपूरक मांग में आवंटित की गई थी और इसे मार्च 2023 के दौरान सीजीटीएमएसई कोष में डाला गया है। अब तक, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीजीटीएमएसई कोष में ₹500 करोड़ का निवेश किया गया है। कोष में धन के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए संशोधित सीजीटीएमएसई के तहत निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं: (i) गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा को ₹2.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹5.00 करोड़ करना। (ii) वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) को कम करके ऋण की लागत कम कर दी गई है। (iii) कानूनी कार्रवाई की छूट के लिए सीमा को ₹5.00 लाख से बढ़ाकर ₹10.00 लाख करना।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
75.	98	**राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री** वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केन्द्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढेगी। एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा, और इसे आरबीआई के साथ परामर्श कर डिजाइन किया जाएगा।	**आर्थिक कार्य विभाग** राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (एनएफआईआर) विधेयक के मसौदे पर हितधारक परामर्श पूरा हो गया है और एनएफआईआर विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार द्वारा अनुमोदन की उचित प्रक्रिया के बाद एनएफआईआर विधेयक संसद में पेश किया जाएगा।
76.	99	**वित्तीय क्षेत्र विनियम** अमृत काल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनियमन सुगम करने के लिए, यथावश्यक और व्यवहार्य लोक परामर्श को विनियम निर्माण प्रक्रिया में और अनुषंगी निदेश जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।	**वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस)** **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)** परिपत्र जारी करते समय परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, कई मामलों में, विभिन्न हितधारकों (जैसे विनियमित संस्थाएं (आरई), भारतीय बैंक संघ, उद्योग संघ, आदि) से सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक चर्चा पत्र (डीपी) या एक मसौदा परिपत्र जारी करना है। अंतिम परिपत्र जारी करते समय फीडबैक को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, इन परिपत्रों को बैंक की वेबसाइट पर डाला जाता है और एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। यहां तक कि जब कोई डीपी या ड्राफ्ट सर्कुलर सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा जाता है, तब भी उन्हें अंतिम रूप देने से पहले हितधारक परामर्श होता है, जब तक कि विषय गुप्त/संवेदनशील न हो। वास्तव में, कई परिपत्र/मौजूदा परिपत्रों

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			में संशोधन विनियमित संस्थाओं और उद्योग जैसे हितधारकों से प्राप्त विशिष्ट प्रतिक्रिया के आधार पर जारी किए जाते हैं। **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)** ने पिछले 12 महीनों में अपने परामर्श पत्रों में काफी वृद्धि की है। यह विनियम बनाने और परिपत्रों के माध्यम से सहायक निर्देश जारी करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जनता और हितधारकों के साथ प्रभावी और सार्थक परामर्श अपनाने के लिए अपने बोर्ड की सलाह के अनुसार एक कठोर परामर्श प्रक्रिया के प्रति सेबी की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। प्रकाशित परामर्श पत्रों की औसत संख्या, जारी किए गए परिपत्रों की संख्या के प्रतिशत के रूप में सेबी द्वारा परामर्श की सीमा को दर्शाती है। विभिन्न अवधियों के दौरान औसत हैं - ▪ वित्त वर्ष 2003 से वित्त वर्ष 2013 : 7 % ▪ वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 : 17% ▪ सितंबर 2022 से अगस्त 2023 : 33% इस प्रकार, पिछले 12 महीनों में परामर्श पत्रों में वृद्धि सेबी द्वारा परामर्श की सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि का परिणाम है और जारी किए गए परिपत्रों की संख्या में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि का परिणाम नहीं है। इसके अलावा, पिछले 12 महीनों में, 48% परामर्श पत्र व्यापारिक सुगमता और विकासात्मक पहल के लिए थे। **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)** ने विनियम जारी करने के लिए विशिष्ट विनियम जारी किए हैं जिनमें लोक परामर्श की प्रक्रिया शामिल है। **भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने** पहले से ही विनियम बनाने और जारी करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया स्थापित की है जो आईबीबीआई

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(विनियम जारी करने के लिए तंत्र) विनियम, 2018 द्वारा शासित है। इन विनियमों में विनियामक द्वारा विनियम जारी करने से पूर्व एक विस्तृत लोक परामर्श प्रक्रिया निर्धारित की गई है। **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)** में सलाहकार समितियां गठित की गई हैं जो विनियम बनाने के संबंध में विनियामकों को सलाह देती हैं। इसके अलावा, विनियम जनता और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद जारी किए जाते हैं।
77.	100	अनुपालना को सरल बनाने, आसान करने और इसकी लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए, वे आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी।	**वित्तीय सेवाएं विभाग** **आर्थिक कार्य विभाग** भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2021 में एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर विनियमित संस्थाओं (आरई) के अनुपालन बोझ को कम करना और जहाँ भी संभव हो, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करना था। आरआरए 2.0 ने 13 जून, 2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 16 नवंबर, 2021, 18 फरवरी, 2022, 2 मई, 2022 और 13 मई, 2022 को चार किस्तों में समीक्षा के एक भाग के रूप में कुल 714 परिपत्र वापस ले लिए गए। इसके अलावा, कुल 65 नियामक रिटर्न को बंद/अन्य रिटर्न के साथ विलय कर दिया गया या ऑनलाइन रिटर्न में परिवर्तित कर दिया गया। आरई द्वारा एक ही स्थान पर ''विनियामक रिपोर्टिंग और रिटर्न प्रस्तुत करने से संबंधित सूचना को समेकित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर एक नया विनियामक रिपोर्टिंग'' लिंक होस्ट किया गया है जिससे अनुपालन में आसानी हो सके। मौजूदा विनियमों की आवधिक

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			समीक्षा की सिफारिश की गई है ताकि उन्हें उद्योग प्रणालियों और वित्तीय परिदृश्य में बढ़ते विकास के साथ संरेखित किया जा सके। तदनुसार, बैंक के विभिन्न विभागों ने इस कार्यप्रणाली को पूरा कर लिया है या इसे पूरा करने की प्रक्रिया के अधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक अनुमोदनों के लिए समय-सीमाएं भी निर्धारित की हैं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 6 अप्रैल, 2023 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर विवरण में कहा गया है कि बैंक ने इस मुद्दे पर केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप 'पीआरएवीएएएच' (नियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच) नामक एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसे धीरे-धीरे सभी कार्यों में आरबीआई को किए गए सभी प्रकार के आवेदनों तक विस्तारित किया जाएगा, इस प्रकार पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ अनुपालन की लागत को आसान और कम करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। आरबीआई ने सूचित किया है कि 'पीआरएवीएएएच' के 31 मार्च, 2024 तक लागू होने की उम्मीद है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने विनियमों की समीक्षा के लिए विनियमन समीक्षा समितियों का गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विनियामकों की समीक्षा करने और विनियामक अनुपालन को कम करने के लिए संबंधित स्थायी सलाहकार समितियों के तत्वावधान में कार्य समूहों का गठन किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ विनियमों की समीक्षा करती है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (विनियम बनाने की प्रक्रिया) विनियम, 2021 के विनियम 7 के अनुसार, प्राधिकरण हर तीन साल में प्रत्येक विनियम की समीक्षा करेगा। भारतीय शोधन अक्षमता और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने पहले ही विनियम बनाने और जारी करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया स्थापित कर ली है जो आईबीबीआई (विनियम जारी करने के लिए तंत्र) विनियम, 2018 द्वारा शासित है। • आईबीबीआई हर तीन साल में अपने प्रभावी विनियमों की समीक्षा करता है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या उन्हें निरस्त या संशोधित करने की आवश्यकता है। यह समीक्षा उनके उद्देश्यों, परिणामों और इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के संबंध में आयोजित की जाती है। • प्रत्येक वर्ष, बोर्ड इसकी समीक्षा के लिए संहिता के अंतर्गत पहले से अधिसूचित विनियमों पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करता है। • आईबीबीआई के पास वेबसाइट पर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और एक समर्पित ईमेल (feedback@ibbi.gov.in) के माध्यम से पूरे वर्ष मौजूदा विनियमों पर सुझाव प्राप्त करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था है।
78.	101	**जीआईएफटी आईएफएससी** जीआईएफटी आईएफएससी में बिजनेस गतिविधियों को बढाने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे : • दोहरे विनियमन से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के	**आर्थिक कार्य विभाग** 1. जीआईएफटी आईएफएससी में दोहरे विनियमन से बचने के लिए आईएफसएससीए को एसईजेड अधिनियम के तहत शक्तियों को सौंपने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफसएससीए) अधिनियम की धारा 31 के तहत एक मसौदा अधिसूचना संसद में रखी गई है। 2. आईएफसएससीए और डीसीएसईजेड के विभिन्न कार्यक्षेत्रों

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी • आईएफएससीए, एसईजेड प्राधिकारियों, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो आईटी सिस्टम की स्थापना करना • विदेशी बैंकों के आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति देना • ट्रेड रि-फाइनेंसिंग के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना करना • माध्यस्थम्, अनुषंगी सेवाओं के लिए, और एसईजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आईएफएससीए अधिनियम में संशोधन करना, और • विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना।	में फॉर्मों का युक्तिकरण और सरलीकरण किया जा रहा है। अन्य प्राधिकरणों से अनुमोदन आवश्यकताओं को भी एकीकृत किया जा रहा है। आईएफसएससीए ने नियामक तुल्यता "अर्थात दूसरे नियामक द्वारा एक वित्तीय क्षेत्र नियामक के अनुमोदन को मान्यता देने के लिए न्यास-आधारित विनियमन) के सिद्धांत को लागू करने के लिए अन्य वित्तीय नियामकों के साथ एक कार्य समूह का गठन किया है। 3. आईएफसएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 31 के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) और धारा 20(1) में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना संसद में रखी गई है। 4. एग्जिम बैंक ने 8 अगस्त 2023 को गिफ्ट आईएफएससी से अपनी सहायक कंपनी शुरू की है। 5. आईएफएससी के स्व-निहित प्रशासन को सक्षम करने के लिये एक मज़बूत वैधानिक ढाँचा स्थापित करने और आईएफएससी को विनियमित करने और विकसित करने का दोहरा अधिदेश देने के लिये आईएफएससीए को उपयुक्त रूप से सशक्त बनाने के लिये अधिनियम के तहत उन विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहाँ संशोधन वांछित हो सकते हैं। आईएफएससीए और जीआईएफटी सिटी से भी व्यापक संशोधन प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में आंतरिक मसौदा समिति के विचार-विमर्श के अधीन हैं। 6. विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
79.	102	**डाटा दूतावास** डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए, हम जीआईएफटी आईएफएससी में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम करेंगे।	**आर्थिक कार्य विभाग** गिफ्ट आईएफएससी में डाटा दूतावासों की स्थापना मुख्य रूप से भारत और इच्छुक देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के रूप में की जाएगी। डाटा दूतावासों की स्थापना के संबंध में अवधारणा नोट को ठोस रूप देने के लिए गठित आंतरिक समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मसौदा समझौता ज्ञापन के साथ रिपोर्ट को इच्छुक देशों के साथ जांच और परामर्श के लिए विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।
80.	103	**बैंकिंग क्षेत्र में शासन-व्यवस्था और निवेशक संरक्षण में सुधार लाना** बैंक शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढाने के लिए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, बैंककारी कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछेक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।	**वित्तीय सेवाएं विभाग** बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1934, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा सेबी अधिनियम से संबंधित विभिन्न संशोधन प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया गया है और मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
81.	104	**प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण** प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदंड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने, बनाए रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा	**आर्थिक कार्य विभाग** आगामी प्रतिभूति बाजार संहिता के भाग के रूप में इस संबंध में आवश्यक प्रावधानों की जांच की जा रही है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा।	
82.	105	**केन्द्रीय डाटा संसाधन केंद्र** कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फील्ड कार्यालयों में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी।	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय** इस केंद्र/कार्यालय की स्थापना भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) परिसर, मानेसर, हरियाणा में की जा रही है।
83.	106	**शेयरों और लाभांशों का पुन: दावा** निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुन: दावा कर सकें, इसके लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा।	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय** विकसित पोर्टल का परीक्षण किया जा रहा है। निवेशकों को कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित शेयरों और राशि की खोज करने में सक्षम बनाने के लिए सर्च मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसका परीक्षण किया जा रहा है। आईईपीएफ से रिफंड का दावा करने के लिए नियम, प्रक्रियाएं और कार्यविधि समीक्षाधीन हैं और इसके लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है।
84.	107	**डिजिटल भुगतान** डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में, इनमें लेनदेन में 76 प्रतिशत की और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी।	**वित्तीय सेवाएं विभाग** व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन योजना को एक वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 तक जारी रखने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
85.	108	**आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र** आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरणस्वरूप, मार्च 2025 तक, दो वर्ष की अवधि के लिए एक एककालिक नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर ₹2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।	**आर्थिक कार्य विभाग** महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 योजना को 31 मार्च, 2023 को अधिसूचित किया गया था और इसे अधिकृत एजेंसियों द्वारा लागू किया जा रहा है।
86.	109	**वरिष्ठ नागरिक** वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को ₹15 लाख से बढाकर ₹30 लाख कर दिया जाएगा।	**आर्थिक कार्य विभाग** वरिष्ठ नागरिक बचत (संशोधन) योजना, 2023 को 31 मार्च, 2023 को अधिसूचित किया गया था और इसे प्रचालन एजेंसियों द्वारा लागू किया जा रहा है।
87.	110	मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए ₹4.5 लाख से बढाकर ₹9 लाख और संयुक्त खाते के लिए ₹9 लाख से बढाकर ₹15 लाख कर दिया जाएगा।	**आर्थिक कार्य विभाग** राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (संशोधन) योजना, 2023 को 31 मार्च, 2023 को अधिसूचित किया गया था और इसे प्रचालन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
88.	111	**राज्यों को पचास वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण** राज्यों के निमित्त संपूर्ण पचास वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े, या आबंटित किए जाएंगे: • पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, • शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां, • शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि उनमें नगरपालिका बांडों के लिए साख बन सके, • पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके भाग के रूप में पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुविधा, • यूनिटी मॉल का निर्माण, • बाल और किशोर पुस्तकालय और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, और • केंद्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा	**व्यय विभाग** पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24 पर राज्य सरकारों को दिशानिर्देश दिनांक 03.02.2023 को जारी किए गए हैं और 1 अप्रैल, 2023 से लागू किए गए हैं।

क्र. सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
89.	112	**राज्यों के राजकोषीय घाटे** राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा।	**व्यय विभाग** 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% की सामान्य निवल उधारी सीमा (एनबीसी) की अनुमति दी गई है और दिनांक 27.03.2023 के पत्र द्वारा राज्यों को सूचित किया गया है। जीएसडीपी के 3% के एनबीसी के अलावा, राज्य जीएसडीपी के 0.50% के अतिरिक्त उधार के लिए भी पात्र हैं, जो विद्युत क्षेत्र में निष्पादन से जुड़े हैं। इसके लिए राज्यों को दिनांक 09.06.2021 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

*****